कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श विद्यालय/अ–1/21312/2018–19/94 दिनांक 06/10/2020

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
   पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
   समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
   माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।

अति–आवश्यक

विषय : राज्य सरकार की **"आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत"** नवीन विद्यालयों का चिन्हीकरण कर परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन उपरान्त प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : शासन उप सचिव प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर के पत्रांक : प.01 (01) प्राशि/आयो./2020 जयपुर, दिनांक : 23.09.2020 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार की **"आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत"** प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राजकीय विद्यालय (सामान्यतः कक्षा 01 से 12/10 के विद्यालय) को चयनित कर विकसित किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों द्वारा चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड/दिशा–निर्देश पूर्ण नहीं करने, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंचायत पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसजृन एवं संशोधन, विद्यालय क्रमोन्नति इत्यादि कारणों से उक्त योजनान्तर्गत विद्यालयों के चयन से संबंधित निम्नांकित विसंगतियां सामने आ रही है।

1. वर्तमान में राप्रावि/राउप्रावि/रामावि आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत संचालित है जबकि उस ग्राम पंचायत में पहले से ही अन्य राउप्रावि/रामावि/राउमावि स्तर का विद्यालय उपलब्ध है। अर्थात उच्च कक्षा स्तर के विद्यालय होते हुए भी निम्न कक्षा स्तर के उमावि के स्थान पर मावि, मावि के स्थान पर उप्रावि एवं उप्रावि के स्थान पर प्रावि विद्यालय का उक्त योजनान्तर्गत चयन किया गया है।
2. ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च/समान कक्षा स्तर का विद्यालय होने के बावजूद ग्राम पंचायत के अन्य निम्न/समान कक्षा स्तर के विद्यालय को उक्त योजनान्तर्गत चयनित किया गया है।
3. कुछ ग्राम पंचायतों में एक ही विद्यालय को आदर्श एवं उत्कृष्ट दोनो ही योजनाओं के अन्तर्गत चयनित/चिन्हित किया गया है।
4. पूर्व में घोषित आदर्श विद्यालय बन्द अथवा अन्य विद्यालयों में समन्वित हो जाने से संबंधित ग्राम पंचायत में उक्त योजनान्तर्गत कोई भी विद्यालय संचालित नहीं है।
5. कुछ ग्राम पंचायतों में उक्त योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के स्थान पर अन्य विद्यालयों के क्रमोन्नत हो जाने के कारण निम्न कक्षा स्तर का विद्यालय आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत संचालित है, जबकि वर्तमान में उस ग्राम पंचायत में उच्च कक्षा स्तर का विद्यालय उपलब्ध है।
6. पंचायत पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन एवं संशोधन उपरान्त कुछ ग्राम पंचायतों में एक भी विद्यालय आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित नहीं है जबकि कुछ ग्राम पंचायतों में एक से अधिक विद्यालय उक्त योजनान्तर्गत चयनित/संचालित है इत्यादि।

उक्त विसंगतियों/बिन्दुओं का आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत विद्यालयों का चयन किए जाने हेतु निर्धारित मानदण्डों/दिशा–निर्देशों (संलग्न) एवं समसामयिक/वास्तविक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरांत **नवीन चयनित/चिन्हित विद्यालयों** के प्रस्ताव **(सुस्पष्ट एवं विस्तृत कारण सहित) भौतिक सत्यापन के उपरांत** निर्धारित प्रारूप **(संलग्न परिशिष्ट–1)** में इस कार्यालय को प्रेषित करें।

साथ ही शहरी क्षेत्र में भी उक्त योजनान्तर्गत विद्यालयों को चयनित/स्थापित करने के संबंध में निर्धारित मानदण्डों/दिशा–निर्देशों (संलग्न) एवं समसामयिक/वास्तविक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में **परीक्षण** कर पाई गई विसंगतियों के संदर्भ में **नवीन चयनित/चिन्हित विद्यालयों** के प्रस्ताव **(सुस्पष्ट एवं विस्तृत कारण सहित)** भौतिक सत्यापन के उपरांत निर्धारित प्रारूप **(संलग्न परिशिष्ट–1)** में इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उक्त प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी. –dserajadarsh.edu@rajasthan.gov.in पर हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी (पीडीएफ) एवं सॉफ्ट कॉपी (एक्सल) में दिनांक 15.10.2020 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

नोटः— समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./प्रा.शि. से आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत नवीन चयनित/चिन्हित विद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रेषणीय प्रस्ताव निर्धारित मानदण्ड एवं दिशा—निर्देशानुसार ही तैयार किए गए है एवं किसी भी विद्यालय को आदर्श एवं उत्कृष्ट दोनों ही योजनाओं के अन्तर्गत चयनित/चिन्हित नहीं किया गया है।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नः—

1. शासन द्वारा आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित/चिन्हित विद्यालयों की सूची विभागीय वेबसाईट **www.education.rajasthan.gov.in/secondary** (लिंकः—**https://bit.ly/30uHFBe**) पर उपलब्ध है।
2. वर्तमान में आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत संचालित विद्यालयों की सूची (शाला दर्पण)।
3. सूचना प्रेषित करने हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट—1) ।
4. निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट—1) की पूर्ति हेतु दिशा—निर्देश (परिशिष्ट—2) ।
5. प्रमाण—पत्र (परिशिष्ट—3) ।
6. आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत विद्यालयों (ग्रामीण क्षेत्र) का चयन किए जाने हेतु निर्धारित मानदण्ड/दिशा —निर्देश।
7. आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत विद्यालयों (शहरी क्षेत्र) का चयन किए जाने हेतु निर्धारित मानदण्ड/दिशा— निर्देश।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक—शिविरा—मा/माध्य/आदर्श विद्यालय/अ—1/21312/2018—19/94 दिनांक 06/10/2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप—1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना), राजस्थान, जयपुर।
6. अति.राज्य परियोजना निदेशक—प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूलशिप,जयपुर।
7. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूलशिप,जयपुर।
8. **समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त जिलों से उक्तानुरूप सूचना निर्धारित समयावधि में प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।**
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—प्रारंभिक शिक्षा।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान।
12. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)/सीआरसीएफ एवं शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) तथा संस्था प्रधान।
13. उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
14. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, प्रा.शि/मा.शि.,राज.,बीकानेर।
15. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप., जयपुर।
16. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
17. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय का पताः— कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
दूरभाषः— 0151—2522238 ई—मेलः— dserajadarsh.edu@rajasthan.gov.in

परिशिष्टः—1

कार्यालयः— जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि., जिला...

आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत नवीन चयनित/चिन्हित आदर्श विद्यालयों के प्रस्ताव प्रेषण हेतु प्रारूपः—

वर्तमान में राज्य सरकार की आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित/स्थापित आदर्श विद्यालयों का विवरण																प्रस्तावित आदर्श विद्यालयों का विवरण															विशेष विवरण / कारण
S.No	District	Block	Panchayat	Village	Name of School	NICCode	UDISE	Category (1-5,1-8,6-8,1-10,1-12,6-10,6-12,9-12/other)	Adarsh Phase (1/2/3)/ Urban Adarsh	Location (Head Quarter/ Other)	Enrollment					S.No	Block	Panchayat	Village	Name of School	NICCode	UDISE	Category (1-5,1-8,6-8,1-10,1-12,6-10,6-12,9-12/other)	Location (Head Quarter/ Other)	Enrollment					
											1-5	6-8	9-10	11-12	Total										1-5	6-8	9-10	11-12	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

www.rajteachers.com

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
मा.शि.,जिला—

(परिशिष्ट–2)

निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–1) की पूर्ति हेतु दिशा–निर्देश

(आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत नवीन विद्यालयों के चिन्ह्रीकरण हेतु)

1. प्रारूप की पूर्ति पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देश एवं चयन हेतु निर्धारित मानदण्डानुसार करना सुनिश्चित करें।
2. आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत नवीन चिन्हित/चयनित/प्रस्तावित विद्यालय के सम्मुख विशेष विवरण कॉलम में सुस्पष्ट एवं विस्तृत कारण लिखें।
3. विद्यालयों का विवरण शाला दर्पण पोर्टल से भरना सुनिश्चित करें तथा पोर्टल की सूचना का मिलान कार्यालय रिकॉर्ड/वास्तविक स्थिति से कर लेवें।
4. यदि किसी ग्राम पंचायत में निर्धारित मानदण्डों/दिशा–निर्देशानुसार कोई भी विद्यालय चयनित/चिन्हित नहीं होता है तो संबंधित ग्राम पंचायत के सम्मुख विशेष विवरण कॉलम में **"निर्धारित मानदण्डों/दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत में कोई भी विद्यालय आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित/चिन्हित नहीं"** लिखें।
5. यदि ग्राम पंचायत में किसी भी स्तर (राउमावि/रामावि/राउप्रावि/राप्रावि) विद्यालय संचालित नहीं है तो विशेष विवरण कॉलम में **"किसी भी स्तर का विद्यालय संचालित/उपलब्ध नहीं है"** लिखें।

जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–3

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिलाः–...............................

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./प्रा.शि. से आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत नवीन चयनित/चिन्हित विद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रेषणीय प्रस्ताव निर्धारित मानदण्ड एवं दिशा–निर्देशानुसार ही तैयार किए गए है एवं किसी भी विद्यालय को आदर्श एवं उत्कृष्ट दोनों ही योजनाओं के अन्तर्गत चयनित/चिन्हित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, जिला–..........................

www.rajteachers.com

1351
प/8/82-1

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

कमांक प. 14(4)शिक्षा–1/2014 जयुपर, दिनांक 5/1/2015

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत (पुनर्गठित पंचायतों को शामिल करते हुए) में एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने के कम में।

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय विकसित किये जाने की घोषणा की है (प्रति संलग्न है)। आदर्श विद्यालय विकसित करने के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत में (पुनर्गठित पंचायतों को शामिल करते हुए) एक उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय का चयन निम्न प्रकार से किया जाना है:–

(अ) ग्राम पंचायत में संचालित कक्षा 1 से 12 के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन किया जाना है। यदि इस ग्राम पंचायत में एक से अधिक कक्षा 1 से 12 तक के राउमावि संचालित हैं, तो उनमें से एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आदर्श विद्यालय के लिए चयन विद्यालय में नामांकन, ICT लैब इन्टरनैट कनेक्शन, अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय की अवस्थिति (Location) के आधार पर किया जावे।

(ब) यदि किसी ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से 12 तक संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है तो उस ग्राम पंचायत के कक्षा 1 से 10 तक के राजकीय माध्यमिक विद्यालय का चयन किया जावे। यदि उस ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से 10 तक संचालित एक से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्थापित है तो उनमें से एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय का आदर्श विद्यालय के लिए चयन, विद्यालय में नामांकन, ICT लैब इन्टरनैट कनेक्शन, अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय की अवस्थिति (Location) के आधार पर किया जावे।

(स) यदि ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12) या माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10) स्थापित नही है, तो उस ग्राम पंचायत में राउमावि (कक्षा 6 से 12) का चयन करे। यदि ग्राम पंचायत में इस प्रकार के एक से अधिक विद्यालय है, तो उनमें से आदर्श विद्यालय के लिए एक राउमावि (कक्षा 6 से 12) का चयन विद्यालय में नामांकन, ICT लैब इन्टरनैट कनेक्शन, अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय की अवस्थिति (Location) के आधार पर किया जावे।

(द) यदि ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12) या माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10) या उच्च माध्यमिक विद्यालय 6 से 12 स्थापित नहीं है, तो उस ग्राम पंचायत में राउमावि (कक्षा 9 से 12) का चयन किया जावे। यदि ग्राम पंचायत में इस प्रकार के एक से

www.rajteachers.com

अधिक विद्यालय है, तो उनमें से आदर्श विद्यालय के लिए एक राउमावि (कक्षा 9 से 12) का चयन विद्यालय में नामांकन, ICT लैब इन्टरनैट कनेक्शन, अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय की अवस्थिति (Location) के आधार पर किया जावे।

(ये) जिन ग्राम पंचायत में उपरोक्त में से किसी प्रकार का विद्यालय नहीं है, उन ग्राम पंचायतों में कक्षा 1 से 8 तक संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाम का उल्लेख कर सूची प्रस्तुत करावें।

उपरोक्तानुसार आदर्श विद्यालय स्थापित करने के लिये पंचायत समितिवार प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) से संलग्न प्रपत्र में इस कार्यालय को दिनांक 12.01.2015 तक आवश्यक रूप से भिजवाये जाने का श्रम करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(नरेश पाल गंगवार)
शासन सचिव,
माध्यमिक शिक्षा।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान सरकार
3. रक्षित पत्रावली।

उपशासन सचिव, प्रथम

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा / माध्य / आ.वि. / आदर्श शहरी / 2016–17 दिनांक 03/03/2017

समस्त उपनिदेशक
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम / द्वितीय)

विषय :– शहरी क्षेत्रों में आदर्श विद्यालय स्थापित करने बावत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सत्र 2015–16 के बजट भाषण में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय विकसित किये जाने की घोषणा की गई थी और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों में राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना भी की गई। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में भी आदर्श विद्यालय स्थापित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुवे है, जिसके चयन हेतु मानदण्ड निम्नानुसार हैः–

1. शहरी क्षेत्र में संचालित कक्षा 1 से 12 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक पांच माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर एक आदर्श विद्यालय के लिए चयन नामांकन, आई.सी.टी. लैब, इन्टरनेट कनेक्शन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय की अवस्थिति (Location) के आधार पर किया जावे।
2. दो आदर्श विद्यालयों के मध्य न्यूनतम दूरी 2 कि0मी0 होना सुनिश्चित किया जावे।
3. प्रस्तावित विद्यालय स्वयं का (सरकारी भवन) एवं पर्याप्त कक्षा–कक्षों की उपलब्धता वाला होना चाहिए।
4. छात्र–छात्राओं हेतु पर्याप्त खेल का मैदान / शौचालय एवं पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।
5. छात्र–छात्राओं के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था हो।

अतः उपर्युक्त सभी निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुवे अपने जिले के प्रस्ताव तैयार कर तत्काल इस कार्यालय की ई–मेल आई0डी0–Rajadarshschool2017@gmail.com पर प्रेषित करें ताकि शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को समेकित प्रस्ताव भिजवाये जा सके।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा / माध्य / आ.वि. / आदर्श शहरी / 2016–17 दिनांक 03/03/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. श्रीमान् शासन उप सचिव महोदय, शासन सचिवालय, राज.,जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 4(6)शिक्षा–1 / 2014 पार्ट जयपुर, दिनांक : 2/5/2017

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विषय :– शहरी क्षेत्रों में आदर्श विद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:– आपका पत्रांक : शिविरा–मा / माध्य / आ.वि. / आदर्श शहरी / 2016–17 दिनांक 07.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के द्वारा शहरी क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने (मय सूची) के प्रस्तावों के साथ ही राजकीय सावित्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय मोइनिया इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर जिला अजमेर को सम्मिलित करते हुए आदर्श विद्यालय विकसित करने का अनुमोदन किया जाता है।

आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किए जाने वाले विद्यालयों की सूची विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करावें। इन विद्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाएं यथा पर्याप्त एवं मानदण्डानुसार शिक्षकों की व्यवस्था, आधारभूत भौतिक सुविधाएं, बालक–बालिकाओं के लिए फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री की व्यवस्था के साथ–साथ आई.सी.टी. / कम्प्यूटर की उपलब्धता प्रदान की जाकर इन्हें Centre of Excellence के रूप में विकसित किया जावेगा। यह आदर्श विद्यालय शहरी क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी विद्यालय (Mentor School) एवं संदर्भ केन्द्र (Resource Centre) के रूप में कार्य करेंगे। इन विद्यालयों को सत्र 2017–18 से (31 मार्च, 2018 तक) विकसित किया जाना है।

पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय स्थापित करने एवं इनके प्रभावी संचालन के लिए जारी विस्तृत दिशा–निर्देशों के अनुसार इन विद्यालयों को भी विकसित किया जाना सुनिश्चित करावें।

www.rajteachers.com

भवदीय,

(आर.एस. झालानी)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राज. जयपुर।

5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
6. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, राज., जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर।
9. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा।
11. रक्षित पत्रावली।

(बी.के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी–शिक्षा

www.rajteachers.com

5T4

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आ.वि./आदर्श शहरी/2016–17 दिनांक 07-04-17

शासन उप सचिव (प्रथम),
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– शहरी क्षेत्रों में आदर्श विद्यालय स्थापित करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–प.4(6)शिक्षा–1/2014 जयपुर, दिनांक 01.07.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र में संचालित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में चिन्हित करने के अनुसार शहरी क्षेत्र में भी आदर्श विद्यालय चिन्हित किये जाने के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे।

इस संबंध में आपको इस कार्यालय के पत्रांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श.वि/विविध/2016 दिनांक 06.07.16 एवं 02.01.2017 द्वारा शहरी क्षेत्रों में आदर्श विद्यालय चिन्हित करने बाबत निर्धारित मापदण्ड एवं दिशा– निर्देश प्रदान करने हेतु लिखा गया था परन्तु मापदण्ड प्राप्त न होने की स्थिति में आपके निर्देशानुसार निदेशालय स्तर पर निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं

1. शहरी क्षेत्र में संचालित कक्षा 1 से 12 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक पांच माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर एक आदर्श विद्यालय के लिए चयन नामांकन, आई.सी.टी. लैब, इन्टरनेट कनेक्शन एव अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय की अवस्थिति (Location) के आधार पर किया जावे;
2. दो आदर्श विद्यालयों के मध्य न्यूनतम दूरी 2 कि0मी0 होना सुनिश्चित किया जावे।
3. प्रस्तावित विद्यालय स्वयं का (सरकारी भवन) एवं पर्याप्त कक्षा–कक्षों की उपलब्धता वाला होना चाहिए।
4. छात्र–छात्राओं हेतु पर्याप्त खेल का मैदान/शौचालय एवं पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।
5. छात्र–छात्राओं के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था हो।

उक्त मापदण्ड निर्धारण उपरांत इस कार्यालय के पत्रांक–शिविरा–मा/माध्य/आ.वि./आदर्श शहरी/ 2016–17 दिनांक 03.03.2017 द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों से अपने–अपने जिले से संबंधित शहरी क्षेत्र में आदर्श विद्यालय स्थापित करने बाबत निर्धारित मापदण्डानुसार प्रस्ताव प्राप्त कर समेकित प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार

(बी.एल.स्वर्णकार)
निदेशक
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com